रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260384 CG-DL-E-23012025-260384

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] No. 352]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/माघ 1, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/MAGHA 1, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

का.आ. 355(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डोमेस्टिक वॉटर हीटिंग के लिए विदयुत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले किए गए हों अथवा किए जाने से छूट गए हों, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है. नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को डोमेस्टिक वॉटर हीटिंग के लिए विदयुत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की -I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

512 GI/2025 (1)

बशर्ते कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (5) और (6) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि इस आदेश का कोई भी प्रावधान डोमेस्टिक वॉटर हीटिंग के लिए विद्युत उपकरण के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों तक आयातित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा एवं ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उनका स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और इसका विवरण केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी-** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु तथा	भारतीय मानक	भारतीय मानक का		सूक्ष्म उद्यमों के	लघु उद्यमों के
सामान		शीर्षक	कार्यान्वयन की	लिए	लिए
			तिथि (सूक्ष्म और	कार्यान्वयन की	कार्यान्वयन की
			लघु उद्यमों को	तिथि	तिथि
			छोड़कर)		
			,		
डोमेस्टिक	302 (भाग 2/	स्टेशनरी स्टोरेज	01 मार्च, 2025	01 सितंबर,	01 जून, 2025
वॉटर हीटिंग के	खंड 21): 2018	टाइप इलेक्ट्रिक		2025	
लिए विदयुत	,	वॉटर हीटर के लिए			
उपकरण		उपकरण			
	302 (भाग 2/	इलेक्ट्रिक			
	खंड 35): 2017	इंस्टेंटेनियस वॉटर			
	,	हीटर के लिए			
		उपकरण			
	368:2014	इलेक्ट्रिक इमर्सन			
		वॉटर हीटर			
	2082:2018	स्टेशनरी स्टोरेज			
		टाइप इलेक्ट्रिक			
		वॉटर हीटर			
	17150:2019	पाइप्ड नैचुरल गैस			
		(पीएनजी) से चलने			
		वाला मिनी			
		डोमेस्टिक वॉटर			
		हीटर			

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा.सं. पी - 29026/8/2024– एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

ORDER

NOTIFICATION

New Delhi, 16th January, 2025

- **S.O.** 355(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Electrical Appliance for domestic water heating (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This order may be called the Electrical Appliances for domestic water heating (Quality Control) Order, 2025.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprises and small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (5) and (6) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of electric appliances for domestic water heating per year and such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government.

- **3. Certification and enforcement authority.-** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.
- 4. **Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for micro enterprises	Date of implementation for small enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrical appliances for domestic water heating	302(Part 2/ Sec 21): 2018 302 (Part 2/ Sec 35): 2017	Appliances for Stationary storage type electric water heaters Appliances for electric instantaneous water heaters Electric Immersion Water Heaters	1st March, 2025	1st September, 2025	1 st June, 2025
	2082:2018	Stationary storage type electric water heaters			

	4
/	1
_	

17150:2019	Mini domestic		
	water heater for		
	use with piped		
	natural gas		
	(PNG)		

Note. - For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.